# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—91/2023/229 आर.टी.एक्ट (2023/91)**

1. श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री देवाराम जाति जाचक, व्यस्क निवासी—ग्राम हाथीखेड़ा तहसील व जिला अजमेर।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. श्री विजयसिंह पुत्र श्री समदा सिंह उम्र 55 वर्ष जाति रावत, निवासीः ग्राम हाथीखेडा, तहसील व जिला अजमेर, हाल सिने वर्ल्ड के पीछे बीके कौल नगर अजमेर तहसील में जिला अजमेर।
2. श्री पन्नासिंह पुत्र श्री समदा सिंह उम्र 57 वर्ष जाति रावत, निवासीः ग्राम हाथीखेडा, तहसील व जिला अजमेर।

**रेस्पोडेंटस**

**नजरसानी अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.02.2023 राजस्व वाद संख्या 68/2021**

**उपस्थितः—**

1. श्री, कुलवंतसिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, शिशिर विजयवर्गीय ,अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1,2

## निर्णय

**दिनांकः— 16.06.2025**

1. यह नजरसानी प्रकरण संख्या 68/2021 में पारित आदेश न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा रेवेन्यू वार्ड नम्बर 151/2016 में पारित आदेश 27.01.2021 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपील दिनांक 08.02.2023 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः नजरसानी प्रकरण संख्या 68/2021 में पारित आदेश न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 08.02.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह नजरसानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/नजरसानी में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी न्यायालय द्वारा धारा 11 सीपीसी के तहत पारित आदेश विधि एवंत थ्य का मिश्रित प्रश्न है ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अपील पर आदेश पारित किए जाने के समय उक्त आशय की तनकी कायम कर अधीनस्थ न्यायालय को अपील रिमांड करनी चाहिए थी एवं अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्षों की साक्ष्य लिए जाने के उपरांत ही धारा 11 सीपीसी के आवेदन का निस्तारण विधिक प्रावधानों के तहत किया जा

सकता है। न्यायालय द्वारा उक्त अपील में आदेश पारित किए जाने के समय पूर्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय एंव दिनांक 27.01.2000 इस आधार पर की खसरा नंबर 439 व 443 पर मात्र अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 20.09.1986 से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं उक्त के विरुद्ध प्रस्तुत अपील राजस्व अपील में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2001 में प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 439 व 443 पर प्रार्थी का अधिकार माना था परंतु माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2001 के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा द्वितीय अपील राजस्व मंडल अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27. 01.2012 को पारित करते हुए इकरारनामा दिनांक 20.09.1986 जिसमें खसरा नंबर 439 व 443 हैं को विक्रय करना दर्शित किया गया है परन्तु उक्त इकरारनामा अपंजीकृत होने से प्रार्थी को उक्त खसरा नंबर 439 व 443 पर विक्रय पत्र दिनांक 20.09.186 पंजीकृत दिनांक 18.10. 1986 का भाग नहीं माना एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2001 को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2000 की पुष्टि की जबकि इकरारनामा दिनांक 20.09.1986 से विक्रेता द्वारा खाता नंबर 252 के खसरा नंबर 438, 440, 440, 442 व 443 का बेचैन किया गया है परंतु विक्रय पत्र में नए एवं पुराने खसरा नंबर अलग–अलग तरीके से अंकित करने के कारण खसरा नंबर 439 व 443 को उक्त विक्रय पत्र का भाग नहीं माना जबकि इकरारनामा दिनांक 20.09.1986 से विक्रय किए गए पांचों खसरा नंबर का कब्जा प्रार्थी को इकरार के समय ही सुपुर्द कर दिया था तथा इकरारनामा दिनांक 20.09.1986 को पंजीकृत कराया जाना विधिक प्रावधानों के तहत कतई आवश्यक नहीं था ऐसे इकरारनामा जिनके तहत आराजी का कब्जा सुपुर्द किया गया हो स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन सन् 1989 में किया जाकर पंजीकृत कराया जाना आवश्यक किया इकरारनामा बाबत संशोधित प्रावधान प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 20.09.1986 पर लागू नहीं होते हैं उक्त तथ्य पर भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई गौर नहीं कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09. 2000 व राजस्व मंडल द्वारा द्वितीय अपील में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2012 मात्र टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज की गई थी कि प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 20.09.1986 अपंजीकृत होने से कोई अधिकार प्रार्थी को इकरारनामा के तहत खसरा नंबर 439 व 443 पर प्राप्त नहीं होते हैं उक्त टेक्निकल ग्राउंड आधार बाबत भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित आदेश के तहत किसी प्रकार का कोई विनिश्चय नहीं दिया गया अतः पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण संख्या 68/2021 में पारित आदेश न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 08.02.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एस0बी0 सिविल रिट पीटिशन न0 11187/2014 लक्ष्मण बनाम मेवा दिनांक 31.3.2016, 2016(1) सीसीसी(31)एस0सी, 2016 डीएनजे (एस0सी) पेज 770 प्रस्तुत किए है।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/नजरसानी में कथन किया कि उक्त प्रस्तुत याचिका पुर्न विलोकन की परिधि में नहीं आती है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण प्रार्थनापत्र में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं किया है, जो अभिलेख पर दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष त्रुटि की श्रेणी में आता हो। प्रार्थी उक्त याचिका की आड़ में प्रकरण में पुनः सुनवाई चाहता है, जो विधिनुसार नहीं है। उक्त पुर्न विलोकन प्रार्थनापत्र पौषणीय नहीं है। दिनांक 08–02–2023 का आदेश पूर्णतः विधि संगत है। किस विधिक तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है उसका उल्लेख याचिका में नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय व माननीय न्यायालय द्वारा पारित दोनों ही निर्णय धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायिक कार्यवाही का दुरूपयोग मानते हुये पारित किये गये है। ऐसे में धारा 11 बाबत विवाद बिन्दु बनाया जाना व उस सम्बन्ध में विचार किया जाना आवश्यक ही नहीं रह जाता है। पूर्व में राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–01–2012 में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 439 व 443 के खातेदार, क्रेता या काबिज ही नहीं है, तो उक्त अन्तिम निर्णय के 06 माह पश्चात दिनांक 31–07–2012 को पुनः उक्त खसरा बाबत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा किसी भी आधार पर पोषणीय नहीं रह जाता है। प्रार्थी पूर्व वाद में पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री में लिये आधारों के सम्बन्ध में इस याचिका में किसी प्रकार का उज्र एतराज नहीं कर सकता है। प्रार्थी द्वारा स्वंय को उक्त दोनों खसरा नम्बर का क्रेता नहीं मानते हुये एक सिविल वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है, ऐसी स्थिति में दो अलग अलग न्यायालय में अलग अलग तथ्य प्रार्थी की बदनीयति को स्पष्ट प्रकट करते है। प्रार्थी को इकरारनामें से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा न ही प्रार्थी को उक्त आराजी का बेचान ही किया गया है। प्रार्थी द्वारा इस चरण में जो इकरारनामें के पंजिकृत कराया जाना तत्समय आवश्यक नहीं होने के कथन किये है वह स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 (1) (बी) के अनुसार अस्वीकार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिका विधि विरुद्ध व पुर्न विलोकन की परिधि में नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा क्या Error apparent on the face of record किया है, जिससे पुर्न विलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी उक्त याचिका के माध्यम से पुनः सुनवाई चाहता है, जो किया जाना विधिनुसार सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अनावश्यक विवाद करने की बदनीयति से यह याचिका पेश की है जो किसी भी आधार पर चलने योगय नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से अनावश्यक न्याय शुल्क अदा किया है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय उदाहरणीय खर्चे सहित खारिज किया जावें। राजस्व अपीलीय न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2022 (2) आर0बी0 1348, आरआरटी 2015(1) एच0सी0 718, आरआरटी 2016(1)आर0बी0 143, आरआरटी 2016–2017 सपप0 आर0बी0 248, आरआरटी 2012(2) आरबी 854, आरआरटी 2022(2)आर0बी0 926, आरआरटी 2020(2)एस0सी0 1200 प्रस्तुत किए है।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट ने न्यायालय हाजा द्वारा किए गए निर्णय दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में नजरसानी प्रस्तुत की है। उक्त नजरसानी के संबंध में न्यायालय हाजा का यह मत है कि अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। चूंकि प्रार्थी द्वारा अपनी नजरसानी में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं किया है जो अभिलेख पर दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष त्रुटि की श्रेणी में आता हो। क्यों कि न्यायालय हाजा द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की प्रथम दृष्टया निर्णय में परिलक्षित होने वाली त्रुटि विद्यमान नहीं है। नजरसानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर ही स्वीकार किया जा सकता है– निर्णय अथवा आदेश पारित करने के उपरांत नवीन और महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी जो कि पूर्व में सम्यक् तत्परता के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे, ऐसी भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो, या अन्य किसी पर्याप्त कारण के आधार पर किंतु वर्तमान प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकट होना नहीं पाया जाता है। क्यों कि नजरसानी का प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकता है नजरसानी का दायरा अत्यधिक सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। चूंकि अपीलांट नए तथ्य की अथवा साक्ष्य की खोज साबित करने में असफल रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरसानी खारिज किए जाने योग्य है।

**2015(1)आरआरटी 718 राज0हाई कोर्ट(जयपुर बैंच)**

**सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908**–*आदेश 47, नियम 1 –आदेश का पुनर्विलोकन–तर्क कि न्यायालय ने याची द्वारा समर्थन में पेश किये निर्णयों पर विचार नहीं किया–याची नये तथ्य की अथवा साक्ष्य की खोज साबित करने में असफल रहा–रेकॉर्ड के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि नहीं–निर्णीत, रिव्यू याचिकायें खारिज होने योग्य है।*

*अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरसानी खारिज किए जाने योग्य है।*

6. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरसानी खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 68/2021 में पारित आदेश न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 08.02.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

7. निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**